प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **148 / 2026** (अपील सूचना का अधिकार)
अजीत डांगी निवासीः ग्राम नांदवेल, तहसील–घासा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 03/06/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(प्रशा.), उदयपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी। सूचना न मिलने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अपील अपीलार्थी का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(प्रशा.), उदयपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है परन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर के समक्ष ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को दिनांक 04.03.2026 कार्यालय पंचायत समिति मावली को अंतरित किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना चाहने हेतु सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 6(i) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उदयपुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(प्रशा.), उदयपुर के विरूद्ध अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उदयपुर के समक्ष सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है परन्तु अपीलार्थी की अपील पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वह सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector and District Magistrate
Date: 2026.06.03 10:20:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22592038
M e-Sign